कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/एफ.21/स्था./2009/291 से 300 दिनांक :: 2/3/09 ~~फरवरी~~, 2009

कार्यालय आदेश

क्षैत्रीय अतिक्रमण निरोधक व्यवस्था के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया कि प्राधिकरण क्षैत्र में अवैद्य निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने/ रोकथाम की कार्यवाही संबंधित अतिक्रमण रोक निरीक्षक द्वारा बिना सम्यक आदेशों के मौके पर सम्पादित की जाती है, जिससे कई बार शहर की कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा बन जाता है ऐसी स्थिति में प्राधिकरण का अतिक्रमण निरोधक दल को बिना कार्यवाही के मौके से वापस लौटना पडता है इससे प्राधिकरण की छवि पर विपरित प्रभाव पडता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रभारी अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक शाखा से पूर्व लिखित में आदेश पारित कर अतिक्रमण व अवैद्य निर्माण को हटवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कोई भी अतिक्रमण रोक निरीक्षक किसी भी स्थिति में प्रभारी के बिना लिखित आदेश के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं करेंगे अन्यथा उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/एफ.21/स्था./2009/ दिनांक :: फरवरी, 2009

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
02. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. प्रभारी अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. तहसीलदार/श्री शान्तिरूप माथुर, सहायक अतिक्रमण रोक अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
05. श्री ललित व्यास/श्री नवरतन लाल गहलोत/श्री संतोष पंवार/श्री अनिल शर्मा, अतिक्रमण रोक निरीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
06. --

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर